

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करीली

ना-87/2018


तारीख-04.07.2018

निर्णय दिनांक-

संबंध- पहलाद आदि बनाम सुनर सिंह वगैरे

दावा बाबत र्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजठ टें 0 एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	2537-40 5/7/18
7.2018	<p>वादी की ओर से श्री रामनरोशी शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत र्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजठ टें 0 एक्ट को तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरूरी सम्मन तालम कर पत्रावली दिनांक 09.08.2018 को को पेश ही।</p> <p style="text-align: center;"> उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करीली)</p>	
9.8.18	<p>वादी वकील उप. ज. कलक्टर की ओर से श्री हरेश शर्मा सि.प. ने अकाउजामा पेश किया। अकाउ पेश करने दि 7.9.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करीली)</p>	
2.9.18	<p>वकील उप. ज. कलक्टर पेश करने दि 8.10.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करीली)</p>	
-10-18	<p>उप जिला कलक्टर टोडाभीम करीली</p> <p>का.प. 826-1140</p>	
6-11-18	<p>पहलाद आदि बनाम सुनर सिंह वगैरे में करीली में उप. पत्रावली प्रस्तुत दिनांक 24.11.18 को पेश हो।</p>	

गायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्ब अहकाम

वादी वकील उपलब्ध। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि, वादपत्र में वर्णित भूमि वादीगण के पिता यजमान के नाम ही दर्ज है। ममा० भी नहीं सुला है तथा वादीगण के वर्णित भी है जो इस भूमि में खोलेदार हैं इसलिए इस वादपत्र को विडो करने की आज्ञा देते हुए खारिज कर दिया जावे। प्रार्थना पत्र पर वादी वकील को सुना गया। वर्णित भूमि की खोलेदारी वादीगण के पिता के नाम ही दर्ज है। वादी वकील को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दाना विडो किये जाने की अनुमति के साथ वादीगण का दाना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमाह होकर जमाह ले फम होकर दाखिल दफतर है।


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करोली)